राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ1 ( )स्था./आकाशि/गे.फे./2021 - 1255 | दिनांकः 11.6.2021

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित करने हेतु।
संदर्भः– वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा. वि. ले. नि./2021 दिनांक 30.03.2021

महोदय,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में नवीन सृजित हुए है एवं ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में **गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे–**

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''विद्या संबल योजना'' के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।
2. ऐसे महाविद्यालयों जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त है में महाविद्यालयों को विषय विशेष का अध्यापन गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।
3. वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में नवसृजित महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जा जायेगी।
4. वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थियों/महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत शैक्षणिक अधिकारी को ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। निजी अभ्यार्थियों के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी।
5. स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फैकल्टी की अनुमति हेतु मांग की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
7. गेस्ट फैकल्टी पर आमन्त्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगें, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।
8. यह दिशा निर्देश मात्र वर्ष 2021–22 के बजट सत्र हेतु ही है।

Scanned with CamScanner

7. गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करे। शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रचार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेगें।

(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु आयुक्तालय में संयुक्त निदेशक के स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त पैनल का परीक्षण किया जायेगा। आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात गेस्ट फैकल्टी के पैनल से वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासम्भव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इसको व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।

(E) इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) गेस्ट फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

10/06/2021.

(संदेश नायक)
आयुक्त

संलग्नः–

1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021
2. गैस्ट फेकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड
4. प्रभारी अधिकारी IT cell इसका अपलोड करें

11/06/2021.

डॉ. आर. सी. मीणा
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

Scanned with CamScanner

विद्या सम्बलन योजनान्तर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड

क्र.सं.	शैक्षणिक रिकॉर्ड	स्कोर			
1	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =21 80% &above=21	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 19 60% to less than 80% =19	55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम = 16 55% to less than 60% =16	45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम = 10 45% to less than 55% =10
2	अधिस्नातक	80 प्रतिशत और उससें अधिक = 25 80% &above=25	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 23 60% to less than 80% =23	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से और 60 प्रतिशत से कम = 20 55% (50% in case of SC/ST/OBC (Non Creamylayer)/PWD) to less than 60% =20	
3	एम. फिल	60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07 60% &above=07	55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम = 05 55% to less than 60% =05		
4	पी एच. डी	25			
5	जेआरएफ सहित नेट	10			
	नेट	08			
	स्लेट या सेट	05			
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)	06			
7	शिक्षण/पोस्ट डाक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक) #	10			
8	पुरस्कार				
	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अंतरराष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	03			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	02			

तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट :–

(क) (i) एमफिल पीएचडी — अधिकतम – 25 अंक
(ii) जे आर एफ/नेट/सेट — अधिकतम – 10 अंक
(iii) अवार्ड की श्रेणी में — अधिकतम – 03 अंक

Nah 11/06.
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रारूप

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... विभाग .... (संस्थान का नाम) में दिनांक .... को गैस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/ दे रही हूँ।

1. यह है कि मैने .... विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक .... के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया हैं तथा मैने विज्ञापन में वर्णित शर्तो को पढ व समझ लिया है तथा उन शर्तो की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।

2. यह है कि मैने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त साविलेनि 2021 दिनांक .... को अच्छे से पढ/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समसत सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित है (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्रापत प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही है।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गेस्ट फेकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मै कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मै इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो संस्था एक तरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मै इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फैकल्टी पर रखा गया है उस पद के स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।

9. यह है कि मैने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फेकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा/होउंगी।

15. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालांश मानदेय भुगतान पर अधारित है अतः शपथग्रहिता को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विंदु संख्या 01 से 15 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैने इनको भलिभांति पढ तथा समझ लिया है, मैने कुछ भी असत्य व्यक्ति नहीं किया है तथ न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तदायी रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक.एफ. 1(2)डीओपी/ए–II/84 जयपुर, दिनांक : 31.1.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन.–** राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,–

(i) विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(छ) "आयुक्त/निदेशक" से आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;";

(ii) विद्यमान खण्ड (झ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ञ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (झझ) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(झझ) "विनियम" से समय–समय पर यथासंशोधित और राज्य सरकार द्वारा यथा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) विनियम, 2010 अभिप्रेत है।

(iii) खण्ड (ड) में, अंत में अभिव्यक्ति "और" जोड़ी जायेगी; और

2/2018

Scanned with CamScanner

"39. **रिक्त पद पर भर्ती के लिए विशेष उपबन्ध और कार्य–भार–** (1) अधिवार्षिकी, मृत्यु, नये महाविद्यालयों में पदों के सृजन या किसी अन्य कारण से संवर्ग में किसी रिक्ति को केवल सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा और उस पद को, जो कैरियर उन्नति स्कीम (कै.उ.स्की.) के अधीन सहायक आचार्य से सह–आचार्य और सह–आचार्य से आचार्य पर पदोन्नति के पश्चात् रिक्त हो, सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जायेगा।

(2) प्राचार्य, आचार्य, सह–आचार्य और सहायक आचार्य का कार्य–भार सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित मानकों के अनुसार होगा।

11. अनुसूची–I का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–I के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

Scanned with CamScanner

"अनुसूची–I

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति/चयन किया जाना है	पदोन्नति/चयन के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	8	7
प्रशासनिक पद						
1	आयुक्त/ निदेशक	100% चयन द्वारा	—	प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक	स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	सरकार किसी भी समय जब स्थिति की ऐसी मांग हो, आयुक्त/निदेशक के पद पर किसी भा.प्र.से. के अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।
अध्यापन पद						
2	महाविद्यालय का प्राचार्य/संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक)	100% चयन द्वारा	—	आचार्य/सह-आचार्य/उप आचार्य	(i) आचार्य जो सुसंगत शाखा में पीएच.डी डिग्री रखता हो, प्राचार्य के रूप में पदोन्नति का पात्र होगा।	(i) 75% पद सह-आचार्यों/उप आचार्यों के पद से भरे जायेंगे और शेष 25% पद उपलब्ध आचार्यों के पद द्वारा भरे जायेंगे।

					कार्यक्रम, व्यावहारिक कौशल विकास कार्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम के प्रवर्गों में से न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम। (iv) अनुसूची–I से संलग्न परिशिष्ट–I की सारणी–I और सारणी II (क) तथा II (ख) में यथाउपबंधित चयन समिति वही होगी जो नियम 23 में यथा विहित है।	
6	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 8000)	100% प्रदोन्नति द्वारा	—	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 7000)	विनियमों के खण्ड 6.4. 6 के अनुसार।	
7	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 7000)	100% पदोन्नति द्वारा	—	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 6000)	विनियमों के खण्ड 6.4.5 के अनुसार।	
8	सहायक आचार्य	100% सीधी	(i) अच्छा शैक्षणिक	—	—	—

		भर्ती द्वारा	अभिलेख साथ में किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम 55% अंक (या अंकमान पर समतुल्य ग्रेड जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है), या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से कोई समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण			

Scanned with CamScanner

			करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट उत्तीर्ण हो। (iii) ऐसे अभ्यर्थी			

Scanned with CamScanner

			को, जो या जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गयी है, सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की अपेक्षा से छूट दी जायेगी।			

Scanned with CamScanner

			(iv) शाखाओं के ऐसे स्नातकोत्तर प्रोग्रामों में भी नेट/स्लेट/सेट की अपेक्षा नहीं की जायेगी जिनके लिए नेट/स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती हैं।			

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट - 1110 दिनांक 04-12-2020

संशोधन आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम 2018 की अनुसूची 01 के बिन्दु संख्या 08 के कॉलम संख्या 04 में कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्यों की सीधी भर्ती से चयन के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता का प्रावधान किया गया है। इस शैक्षणिक योग्यता में वर्णित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख के क्रम में शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक F1 Edu.4/2010 दिनांक 21.02.2014 द्वारा परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांकः एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट /1039 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा एस.सी./एस.टी./दिव्यांग तथा ओ.बी.सी.(गैर समृद्ध) श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता तथा 21.02.2014 के पत्र में परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की गई थी।

शिक्षा ग्रुप–4 के पत्र दिनांक 21.02.2014 तथा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश में परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को एतद् द्वारा प्रत्याहारित करते हुए राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम 2018 की अनुसूची 01 के बिन्दु संख्या 08 के कॉलम संख्या 04 में वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं के क्रम में अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:–

" कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय हेतु गुड अकेडमिक रिकार्ड से अभिप्रायः– स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक। इसमें एस. सी/एस.टी /ओ.बी.सी. (गैर समृद्ध) एवं दिव्यांग श्रेणी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।

विधि संकाय हेतु गुड अकेडमिक रिकार्ड से अभिप्रायः– विधि स्नातक परीक्षा कम से कम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है।"

दिनांक 15.09.2020 के आदेश में पी.एच.डी एवं पात्रता के संबंध में वर्णित शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

(शुचि शर्मा)
शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट-1110 दिनांक 04-12-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

(शुचि शर्मा)
शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

डॉ० मनोज गोस्वामी 1.7.21

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ1 ( )स्था/आकाशि/ 1263 दिनांक 30.06.21

R-133 01.07.21

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषय:- विद्या सम्बल योजना बाबत्।
संदर्भ- विभागीय आदेश क्रमांक एफ1 ( )स्था/आकाशि/गे.फै./2021/1255 दिनांक 11.06.2021।

संदर्भित पत्र द्वारा विभाग ने विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमन्त्रित करने के क्रम में पैनल बनाकर विभागीय अनुमति प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये थे। प्राचार्यों को यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.03.2021 तथा विभागीय पत्र दिनांक 11.06.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कराने हेतु आमन्त्रित करने के लिये पैनल बनाने के निर्देश दिये गये है। विभाग द्वारा महाविद्यालयों को सहायक आचार्यों के रिक्त पद भरने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है।

विद्या सम्बल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमन्त्रित करने है। प्राप्त आवेदनों का विभागीय निर्देशों के अनुसार परीक्षण कर महाविद्यालय स्तर पर पैनल तैयार कर औचित्य स्पष्ट करते हुये विभाग को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाना है। पैनल कम से कम 3 शिक्षकों का हो किन्तु यदि महाविद्यालय में किसी विषय विशेष के एक से अधिक पद रिक्त है तो पैनल 3 से अधिक शिक्षकों का भी बनाया जा सकता है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः आवेदन हेतु कार्यवाही करें तथा इसकी सूचना विभाग को देवें। विभागीय वेबसाईट पर कुछ FAQs अपलोड किये जा रहे है, ताकि प्राचार्यों की शंकाओं का निवारण हो सके।

30/6/2021
(संदेश नायक) IAS
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।
3. वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

30/06/2021
(डॉ. आर.सी. मीणा)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

Scanned with CamScanner